नोट :- कोई अभ्यर्थी जो उक्त अर्हता नहीं रखता है वह भी नियुक्ति के लिए पात्र हो सकता है। यदि वह एक विषय के रूप में उर्दू के साथ बी.ए. अथवा एम.ए. उपाधि रखता हो। जामिया उर्दू, अलीगढ़ की अदीब-ए-कामिल उपाधि को बी.ए. (उर्दू) के समकक्ष माना गया है।

(ख) प्रशिक्षण योग्यता

सी.टी.सी. उर्दू प्रशिक्षण (प्रदेश के चार केन्द्रों से :- लखनऊ, आगरा, [illegible] (मेरठ), तलमडीहा (वाराणसी)।

या

जामिया उर्दू, अलीगढ़ की मोअल्लिम-ए-उर्दू उपाधि।

3- उपर्युक्त अर्हताओं को रखने वाले अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में निम्न अर्हताधारी भी नियुक्ति के पात्र होंगे :-

"माध्यमिक शिक्षा परिषद से उर्दू विषय के साथ इन्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण एवं सी.टी.सी. (सामान्य) प्रशिक्षण उत्तीर्ण अभ्यर्थी" ।

4- यदि फिर भी निर्धारित संख्या में अभ्यर्थी न उपलब्ध हों तो निम्न वरीयता के आधार पर नियुक्ति हेतु विचार किया जायेगा।

(क) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने उर्दू विषय सहित माध्यमिक शिक्षा परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अन्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के साथ आल इण्डिया तालीमघर द्वारा संचालित उर्दू ट्रेनिंग सर्टिफिकेट (यू.टी.सी.) पूर्ण कर लिया हो।

(ख) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद की उर्दू विषय के साथ इण्टरमीडिएट परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की है, या उर्दू विषय लेकर बी०ए० अथवा एम०ए० उत्तीर्ण किया है। उन्हें अप्रशिक्षित वेतनमान देय होगा। (जामिया उर्दू, अलीगढ़ द्वारा प्रदत्त अदीब-ए-कामिल उपाधि को बी.ए. (उर्दू) के समकक्ष माना गया है।)